महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ अंतर्गत लोकसेवा, आवश्यक कागदपत्रे, फी, नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी अधिसुचित करण्याबाबत.

# महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांक: एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१८९/नवि-१४ मंत्रालय, मुंबई-३२

दिनांक:- २३ जून, २०१५

वाचा:- सन-२०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.५

### प्रस्तावना:-

राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५, दि.२८/०४/२०१५ रोजी लागू करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम-३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ मिहन्याच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसुचित करणे आवश्यक आहे. सदरहू अध्यादेश निर्गमितकरण्यामागे सार्वजनिक प्राधिकरणाने त्या पुरवित असलेल्या सेवा अधिनियमांतर्गत अधिसुचित करून त्याप्रमाणे संबंधित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे.

**०२.** या विभागाच्या प्रशासकीय अधिपत्याखाली राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा/ नगरपंचायती या नागरी स्थानिक संस्थांचा समावेश आहे. नागरी स्थानिक संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांपैकी नागरिक केंद्रबिंदू मानून, नागरिकांना दैनंदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या व ज्या लोकसेवांचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी फायदा घेतला आहे व ज्या सेवा महत्त्वाच्या आहेत, अशा सेवा अध्यादेशाच्या कलम-३ अनुसार अधिसुचित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:-

## शासन निर्णय:-

- (१) या शासन निर्णयाच्या सहपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या एकूण १५ सेवा राज्यातील सर्व महानगरपालिकांनी कलम-३ अनुसार अधिसुचित करावयाच्या आहेत.
- (२) या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र-ब, क व ड मध्ये नमूद केलेल्या एकूण १३ सेवा राज्यातील सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांनी कलम-३ अनुसार अधिसुचित करावयाच्या आहेत.
- (३) शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्र-अ, ब, क व ड मध्ये नमूद केलेल्या सेवा, आवश्यक कागदपत्रे व नियत कालावधी यामध्ये संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांना (महानगरपालिका, नगरपरिषदा/नगरपंचायती) यांना बदल करता येणार नाही.
- (४) या अधिनियमांतर्गत सेवा पुरविण्याकरिता आकारावयाची फी निश्चित करण्याची संबंधित सार्वजिनक प्राधिकरणांना मुभा राहील. तसेच संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेची रचना विचारात घेऊन पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी इत्यादीमध्ये संबंधित सार्वजिनक प्राधिकरणांना सुधारणा करता येईल.

- राज्यातील सर्व आयुक्त, महानगरपालिका व मुख्याधिकारी नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांनी उपरोक्तप्रमाणे कलम-३ अनुसार सेवा अधिसुचित करणे व त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
- उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी दि.०१ जुलै, २०१५ ते दि.२७ जुलै, २०१५ या कालावधीत सुरू करण्याची जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त व मुख्याधिकारी नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांची राहील.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६२४१७४८३६०५२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

## महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Digitally signed by Jayasingrao N Jayasingrao N Patil DN: CN = Jayasingrao N Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = Deputy Secretary Date: 2015.06.24 17:57:38 +05'30'

> (ज. ना. पाटील) उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

## प्रती-

- १. मा.विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई.
- २. सर्व सन्मानीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य.
- 3. मा.राज्यपाल महोदय यांचे सचिव.
- ४. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव.
- ५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.
- ६. मा.राज्य निवडणूक आयोग यांचे कार्यालय.
- ७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ट स्वीय सहाय्यक.
- ८. मा.लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त यांचे कार्यालय.
- ९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग.
- १०.मुख्यमंत्री महोदय यांचे जनसंपर्क अधिकारी.
- ११. सर्व विभागीय आयुक्त.
- १२. सर्व जिल्हाधिकारी.
- १३. राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त.
- १४. राज्यातील सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांचे मुख्याधिकारी.
- १५. सर्व मंत्रालयीन विभाग.
- १६. नगर विकास विभागातील सर्व कार्यासने.
- १७. निवडनस्ती.

# शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक: एमसीओ-२०१५/प्र.क्र.१८९/नवि-१४, दि.२३ जून, २०१५ चे **सहपत्र-"ब"**

# महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश-२०१५ (कलम-३ अन्वये नगरपालिका -अ वर्ग ने जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील)

| अ.क्र.     | लोक सेवांची सुची   | आवश्यक कागदपत्र  | फी   | नियत काल | पदनिर्देशित   | प्रथम अपिलीय              | द्वितीय              |
|------------|--|--|--|----------|---|---------------------------|----------------------|
|            |  |  |  | मर्यादा  | अधिकारी   | प्राधिकारी                | अपिलीय<br>प्राधिकारी |
| ٩.         | जन्म प्रमाणपत्र<br>देणे  | विहित नमुन्यातील अर्ज  | नगरपालिका<br>स्तरावर<br>निश्चित<br>केलेले दर | ३ दिवस   | जन्म व मृत्यूनोंदणी<br>अधिनियम १९६९<br>अन्वये प्राधिकृत<br>अधिकारी (संबंधित<br>विभागप्रमुख) | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |
| ₹.         | मृत्यू प्रमाणपत्र<br>देणे  | विहित नमुन्यातील अर्ज  | ,,   | ३ दिवस   | ,,  | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |
| 3.         | विवाह नोंदणी<br>प्रमाणपत्र देणे  | <ul> <li>१. विहित नमुन्यातील</li> <li>अर्ज</li> <li>२. वास्तव्याचा पुरावा.</li> <li>३. वयाचा पुरावा</li> <li>४. विवाहासाठी उपस्थित<br/>साक्षीदारांचे<br/>स्वयंघोषणापत्र</li> <li>५. ९० दिवसांनंतर नोंदणी<br/>असल्यास<br/>स्वयंघोषणापत्र</li> </ul> | ,,   | ३ दिवस   | विवाह नोंदणी<br>अधिनियम-१९९८<br>अन्वये प्राधिकृत<br>अधिकारी)संबंधित<br>विभाग प्रमुख(        | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |
| 8.         | मालमत्ता कर<br>उतारा देणे  | विहित नमुन्यातील अर्ज  | ,,   | ३ दिवस   | संबंधित विभाग<br>प्रमुख   | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |
| ч.         | थकबाकी<br>नसल्याचा<br>दाखला देणे                                       | विहित नमुन्यातील अर्ज  | ,,   | ३ दिवस   | संबंधित विभाग<br>प्रमुख   | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |
| <b>ε</b> . | अ) दस्तऐवजाच्या<br>आधारे मालमत्ता<br>हस्तांतरण नोंद<br>प्रमाणपत्र देणे | <ul> <li>१. विहित नमुन्यातील अर्ज</li> <li>२. थकबाकी नसल्याचा<br/>दाखला</li> <li>३. दस्तऐवजाची प्रत<br/>(खरेदी खत/ बक्षीस<br/>पत्र/वाटणीपत्र व<br/>इतर)</li> </ul>   | ,,   | १५ दिवस  | संबंधित विभाग<br>प्रमुख   | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |
|            | ब) वारसा हक्काने<br>मालमत्ता<br>हस्तांतरण नोंद<br>प्रमाणपत्र देणे      | <ul><li>१. विहित नमुन्यातील</li><li>अर्ज</li><li>२. थकबाकी नसल्याचा</li><li>दाखला</li><li>३. वारस हक्क प्रमाणपत्र</li></ul>  | ,,   | १५ दिवस  | संबंधित विभाग<br>प्रमुख   | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |
| <b>6</b> . | झोन दाखला देणे   | <ol> <li>विहित नमुन्यातील अर्ज</li> <li>७/१२ उतारा/सिटी<br/>सर्व्ह उतारा</li> <li>मोजणी नकाशा/सिटी<br/>सर्व्ह नकाशा</li> </ol>   | ,,   | ७ दिवस   | संबंधित विभाग<br>प्रमुख   | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |
| ۷.         | भाग नकाशा देणे   | <ol> <li>विहित नमुन्यातील अर्ज</li> <li>७/१२ उतारा/सिटी<br/>सर्व्हे उतारा</li> <li>मोजणी नकाशा/सिटी<br/>सर्व्हे नकाशा</li> </ol>   | ,,   | ३ दिवस   | संबंधित विभाग<br>प्रमुख   | अतिरिक्त<br>मुख्य अधिकारी | मुख्याधिकारी         |

| अ.क्र. | लोक सेवांची सुची  | आवश्यक कागदपत्र            | फी | नियत काल<br>मर्यादा | पदिन देशित<br>अधिकारी | प्रथम अपिलीय<br>प्राधिकारी | द्वितीय<br>अपिलीय |
|--------|-------------------|----------------------------|----|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|        |                   |                            |    |                     |                       |                            | प्राधिकारी        |
| ۶.     | बांधकाम परवाना    | १ विहित नमुन्यातील अर्ज    | ,, | ६० दिवस             | संबंधित विभाग         | अतिरिक्त                   | मुख्याधिकारी      |
|        | देणे              | २ वास्तुविशारदाचा          |    |                     | प्रमुख                | मुख्य अधिकारी              |                   |
|        |                   | दाखला                      |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | ३. मालकी हक्काची           |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | कागदपत्रे                  |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | ४. बांधकाम आराखडा          |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | नकाशा ५प्रती.              |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | ५. मोजणी नकाशा             |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | ६. मंजूर रेखांकनाची प्रत   |    |                     |                       |                            |                   |
| 90.    | जोते प्रमाणपत्र   | १. विहित नमुन्यातील अर्ज   | ,, | १५ दिवस             | संबंधित विभाग         | अतिरिक्त                   | मुख्याधिकारी      |
|        |                   | २. बांधकाम प्रारंभ         |    |                     | प्रमुख                | मुख्य अधिकारी              |                   |
|        |                   | प्रमाणपत्र                 |    |                     |                       |                            |                   |
| 99.    | भोगवटा प्रमाणपत्र | १. विहित नमुन्यातील अर्ज   | ,, | ३० दिवस             | संबंधित विभाग         | अतिरिक्त                   | मुख्याधिकारी      |
|        | देणे              | २. बांधकाम प्रारंभ         |    |                     | प्रमुख                | मुख्य अधिकारी              |                   |
|        |                   | प्रमाणपत्र                 |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | ३. जोते प्रमाणपत्र         |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | ४. घर मालक/                |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | वास्तुविशारद यांचे         |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | पूर्णत्वाचे स्वयंघोषणापत्र |    |                     |                       |                            |                   |
| ٩२.    | नळजोडणी देणे      | १. विहित नमुन्यातील अर्ज   | ,, | १५ दिवस             | संबंधित विभाग         | अतिरिक्त                   | मुख्याधिकारी      |
|        |                   | २. जागा मालकी              |    |                     | प्रमुख                | मुख्य अधिकारी              |                   |
|        |                   | कागदपत्रे                  |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | ३. थकबाकी नसल्याचा         |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | दाखला                      |    |                     |                       |                            |                   |
| 93.    | जलि:सारण          | १. विहित नमुन्यातील अर्ज   | ,, | १५ दिवस             | कनिष्ट अभियंता        | अतिरिक्त                   | मुख्याधिकारी      |
|        | जोडणी देणे        | २. जागा मालकी              |    |                     |                       | मुख्य अधिकारी              |                   |
|        |                   | कागदपत्रे                  |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | ३. थकबाकी नसल्याचा         |    |                     |                       |                            |                   |
|        |                   | दाखला                      |    |                     |                       |                            |                   |

\*\*\*\*\*